न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–10/2016

पंजीयन दि.11.08.2016
निर्णय दि.11.07.2018

1. श्री रमेश पिता दिता मनात मीणा निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री गौतम पिता मीठालाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्री शंकरलाल पिता मीठालाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. श्री हिरालाल पिता मीठालाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. श्री मीठालाल पिता पेमजी मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कांतिलाल पिता गौतम मनात मीणा निवासी बालाडीट तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत

उपस्थित – 1. श्री नरेश जोशी, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजा पटेल अभिभाषक, विपक्षी सं. 1 की ओर से
3. पेशेकार सरकार, विपक्षी सं. 2 की ओर से

: निर्णय :

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत, ग्राम थाणा के खसरा नम्बर 318/1 में किये गये रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को निरस्त कराने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थाणा की आराजी संख्या 319/1 में से वर्ष 1992 में विपक्षी सं. 1 को रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी, जिसका नवीन खसरा संख्या 4141/319/1 कायम हुआ है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को निरस्त कराने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि विपक्षी सं. 1 को आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की पालना नही की गई है। मौके पर आवंटी को आज तक कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण तथा उनके परिवार का गत 30 वर्षो से उपर का कब्जा चला आ रहा है। इसमें प्रार्थी रमेश का 30 वर्षो से उपर के समय का निर्मित पुराना मकान स्थित है, जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है, तथा बकाया हिस्से पर सभी प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी काश्त है। विपक्षी सं. 1 के पिता तत्कालिन समय में तहसील कार्यालय डूंगरपुर के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे जिससे उनके द्वारा अपने पदीय प्रभाव का उपयोग किया जाकर उपरोक्त आवंटन कराया जाना स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। वर्ष 2013 में विपक्षी कांतिलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आकर विवाद किया तथा उसके पश्चात् एक वाद उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो निरस्त किया गया। उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के न्यायालय निर्णय दिनांक 19.10.2015 में प्रार्थीगण का कब्जा मान आवंटन निरस्त कराने स्वतंत्र होना अंकित किया। विपक्षी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 22.07.2016 को निरस्त करा ली गई, जिसके पश्चात् यह प्रार्थना पत्र विपक्षी सं. 1 के नाम किया गया उपरोक्त आवंटन निरस्त कराने प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब कियागया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अभिभाषक नियुक्त हुए। विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति प्रार्थीगण के अभिभाषक को दिलाई गई।

दौराने सुनवाई प्रार्थीगण के अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा.दी. प्रस्तुत करते हुए विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की जाने निवेदन किया गया जिसकी प्रति विपक्षी सं .1 के अभिभाषक को दिलाई गई। प्रार्थन पत्र के क्रम में उभय पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया। मौके की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डूंगरपुर से विवादित भूमि का मौका जांच कर मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार

डूंगरपुर की रिपोर्ट क्रमांक 2113 दिनांक 06.12.2017 मय पर्चा मौका एवं राजस्व रेकार्ड के प्राप्त हो पत्रावली में संलग्न है।

प्रार्थीगण के अभिभाषक की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति विपक्षी सं. 1 के अभिभाषक को दिलाई गई। उभयपक्षों के अभिभाषकगणो एवं पैरोकार सरकार की बहस समायत की गई। प्रस्तुत दस्तावेजात पत्रावली पर रखे गये।

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस के अलावा कथन किया कि प्रार्थीगण तथा उसका परिवार ग्राम थाणा की आराजी संख्या 319/1 में विपक्षी सं. 1 को आवंटित भूमि रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर आवंटन वर्ष 1992 के काफी वर्षो पूर्व से ही काबिज काश्त रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में काफी श्रम एवं धन व्यय कर काश्त योग्य भूमि बनाया है तथा इसमें प्रत्येक वर्ष दोनो–तीनों फसले काश्त करते है। उक्त भूमि के एक हिस्से पर 30 वर्षो से भी अधिक समय से मकान बनाया है तथा यह मकान प्रार्थी सं. 1 श्री रमेश के हिस्से में आने से वह परिवार सहित इसमें निवासरत है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण की फसल, घास, मकान, वृक्ष वगैरा स्थित है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते है। प्रार्थीगण इस भूमि पर काबिज काश्त होने से उनके द्वारा पूर्व के वर्षो में पेनाल्टी भी जमा करवाई जाती रही है। मौके पर उक्त भूमि में अभी फसल है। आम का वृक्ष एवं पौधे है। 30 वर्षो से भी अधिक पुराना केलु पोश मकान है। ग्राम थाणा की आराजी सं. 319/1 में से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने पिता जो कि तहसील कार्यालय डूंगरपुर के अधिन राजस्व कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे, के पद के प्रभाव का उपयोग करते हुए अवैधानिक रूपेण आवंटन करवाया है। आवंटित भूमि का विपक्षी सं. 1 को कभी मौके पर भौतिक रूपेण कब्जा सुपुर्द नही हुआ है तथा आवंटन मात्र कागजो में ही रहा हैं विपक्षी सं. 1 ने कब्जा प्राप्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी डूंगरपुर के समक्ष वाद संख्या 03/2013 प्रस्तुत किया था, जिसका तकनीवार निर्णय होकर वादी का वाद ग्राम थाणा की आराजी सं. 4141/319/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बाबत् खारीज किया गया था। इस निर्णय की तनकी नम्बर 3 को मूल वाद में प्रतिवादीगण हाल प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए वादग्रस्त भूमि पर हाल प्रकरण में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त एवं मकान होना प्रमाणित माना था, जिससे भी प्रार्थीगण का पक्ष बखुबी प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि तहसीलदार सा. डूंगरपुर से प्राप्त रिपोर्ट में भी विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त व मकान होना प्रमाणित माना है तथा प्रार्थीगण की

ओर से मौके के प्रस्तुत फोटोग्राफ्स एवं राजस्व रेकार्ड की नकलों से भी प्रार्थीगण का ही काश्त कब्जा होना प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

विपक्षी सं. 1 के योग्य अभिभाषक का कथन है कि विपक्षी सं. 1 को नियमानुसार मजमे आम में भूमि का आवंटन वर्ष 1992 में हुआ है तथा उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र विपक्षी को परेशान करने हेतु ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्त योग्य है। विपक्षी सं. 1 के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब का अवलम्बन लेते हुए आगे यह भी कथन किया है कि विपक्षी सं. 1 के पिता के तहसील कार्यालय के अधिन नियुक्ति के कारण अपने प्रभाव का उपयोग कर आवंटन करवाया है, वह गलत एवं बेबुनियाद है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आराजी सं. 4141/319/1 में विपक्षी का आज भी कब्जा काश्त है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी डूंगरपुर के फैसले की पुनः अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारीजी उदयपुर केम्प डूंगरपुर में की गई है, जो विचाराधीन है। तहसीलदार सा. की मौका जांच रिपोर्ट में भी विपक्षी का कब्जा माना है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद होने से तथा आवंटन के करीब 25-26 वर्षो बाद आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जावे। औपचारिक रूपेण उपस्थित पेरोकार सरकार ने मौका रिपोर्ट को सही होना जाहिर किया।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रमाणित रेकार्ड के अवलोकन से ग्राम धाणा की बिलानाम आराजी संख्या 319/1 में से रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वर्ष 1992 में विपक्षी सं. 1 को आवंटित होना तथा इसका नवीन बटा नम्बर 4141/319/1 होना प्रमाणित है।

भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवेचित भूमि की विधिवत उद्घोषणा जारी होने व उसका प्रकाशन होने के बाद विपक्षी के भूमि आवंटन आवेदन की जांच उपरान्त किसी की अपत्ति नही होने से मजमे आम में विपक्षी संख्या-1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या-1 को वर्ष 1992 में भूमि आवंटित हुई है तथा भूमि आवंटन शर्तो की पालना उपरान्त उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। विपक्षी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया तब प्रार्थीगण अथवा अन्य द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति सलाहकार समिति को प्रस्तुत नही की है तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा भूमि आवंटन के समय आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत् कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये है। जहां तक प्रार्थीगण का तर्क है कि विपक्षी के पिता तहसील कार्यालय के अधिनस्थ राजकीय कर्मी थे। पिता के राजकीय कार्मिक होने के प्रभाव

में उनके पुत्र के नाम भूमि आवंटन किया जाना नियम विरूद्ध है। इस संबंध में विपक्षी संख्या 1 बालिक होकर सदभावी कृषक था तथा पिता पर आश्रित नही था। ऐसी स्थिति में विपक्षी को भूमि आवंटन किये जाने में कोई प्रतिबन्ध नही है। प्रार्थीगण का ततथ्य है कि उक्त विवेचित भूमि पर उनका कब्जा है। तहसीलदार डूंगरपुर की मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगण का आवंटित भूमि में से 1–19 बीघा पर कब्जा होने की रिपोर्ट की है। तहसीलदार डूंगरपुर की मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थीगण का विवेचित भूमि पर विपक्षी को किये गये भूमि आवंटन के पूर्व का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा भी विवेचित भूमि पर विपक्षी सं. 1 को किये गये भूमि आवंटन के पूर्व का कब्जा होने के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे विपक्षी संख्या 1 को जब कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई उससे पूर्व प्रार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित नही होता है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने पर अपने हित एवं अधिकारों के रक्षण हेतु उपखण्ड न्यायालय डूंगरपुर में वाद संख्या 03/2013 में प्रस्तुत किया जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2015 को निरस्त किया गया है। विपक्षी उक्त निर्णय से अंसतुष्ट होकर राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील की है जो विचाराधीन है। जहां तक प्रार्थीगण का कथन है कि विवेचित भूमि पर उनका विपक्षी को किये गये भूमि आवंटन के पूर्व कब्जा था तो विपक्षी सं. 1 भूमि आवंटन उपरान्त तत्काल कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् वर्ष 2016 में विवेचित भूमि का आव।अन निरस्ती की अपील की गई है जो, विपक्षी संख्या 1 को किये गये भूमि आवंटन के 24 वर्ष उपरान्त की है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का विवेचित भूमि पर कब्जा वर्ष 2013 के समय का है। जो विपक्षी को किये गये भूमि आवंटन को पूर्व का होने की पुष्टि नही करता है। उक्त तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने में नियमानुसार कोई त्रुटि नही की है। जिससे उनके भूमि आवंटन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त (खारीज) की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर